

रिपोर्ट पटवासी हल्का/आईएलआरआर
 आवेदन पत्र के संदर्भ में जांच की गई, जिसके अनुसार
 458 का खता ए. 458 का नाम सुभाष कुल पत्रावली 1/24 माते मलवाल का 1956 की
 (अर्थात् प्रती) जमाबन्दी का पटवासी पटवासी आलेख सुभाष पत्रावली 1/24 माते मलवाल
 जगदीश प्रसाद आलेख मलवाल का है। अतः प्रती का उपरोक्त खता नाम सुभाष का
 नाम सुभाष पत्रावली जगदीश प्रसाद पटवासी मलवाल का है। अतः प्रती का उपरोक्त खता नाम सुभाष का है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

क्रमांक :- राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुरारि आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिशंका की जाती है /नहीं की जाती है।

M
 28/4/23
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुंसुर (राज.)
 :- आदेश :-

क्र.नं. = 51/23

दिनांक :- 28/4/23

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुरारण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरायद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध-प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	दुडिया	2075 78	458	सुभाष कुल पत्रावली 1/24 माते मलवाल	सुभाष कुल पत्रावली 1/24 माते मलवाल

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 28/4/23

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 22
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

